झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 18 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

संबंधित संचिका — रा०खा०आ० (शि०)-गिरिडीह/PDS-99/2021.

अपीलकर्त्ता श्री उदय टूडू एवं तुलसी राय, ग्राम-गंदकुरा, पं०-गंदकुरा, प्र०-तिसरी, जिला-गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी 1. DSO, गिरिडीह

DISPOSED 18/05/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएट्प नं0–9142622194 पर शिकायतकर्ता **श्री उदय टूडू (8862801436) एवं श्री तुलसी राय (7033262649) ग्राम–गंदकुरा, पंचायत–गंदकुरा, प्रखण्ड–तिसरी, जिला–गिरिडीह** का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि डीलर के पास उनका राशन कार्ड बनकर आ चुका है परन्तु लाभुक को राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की गयी थी। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–रा0खा0आ0 (शिकायत)–गिरिडीह / PDS–99 / 2021–859 दिनांक–22.12.2021 द्वारा अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गिरिडीह से कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त रहा। आयोग द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक– 28/02/2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरडीह को नोटिस निर्गत किया जाय। सुनवाई के दौरान नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र से ऑनलाईन V.C. के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय। Ranjan 07/02/2022 C.S.C की सहमति नहीं प्राप्त होने की वजह से सुनवाई V.C/What App की जगह कार्यालय में उपस्थित किया जाए। Ranjan 14/02/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.02.2022 को वाद संख्या–18/2022 अपीलकर्त्ता श्री उदय टुडू एवं श्री तुलसी राय, ग्राम–गंदकुरा, प्रखण्ड–तिसरी, गिरिडीह के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष श्री उदय टूडु एवं श्री तुलसी राय ग्राम–गंदकुरा, पंचायत–गंदकुरा, प्रखण्ड–तिसरी, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री पवन कुमार सिन्हा, प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तिसरी, गिरिडीह उपस्थित हुए। 1. **अपीलकर्त्ता श्री तुलसी राय** का कहना है कि उन्होंने 2018 में ही राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था। उनका राशन कार्ड दो माह पहले ही बना है। उन्होंने जब शिकायत आवेदन आयोग में दिया, उसके बाद उनको जनवरी, फरवरी दो माह का राशन दिया गया है। पणन पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट आयोग न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिकायतकर्त्ता का राशन कार्ड संबंधित आवेदन दिनांक–24.01.2021 को ही Approved कर दिया गया था। साथ ही प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के वितरक पंजी की छायाप्रति आयोग के समक्ष पेश किया गया जिसमें पाया गया कि वादी के राशन कार्ड से राशन का उठाव अप्रैल 2021 से ही हो रहा है। साथ ही उक्त वितरण पंजी में श्रीमती भुखरी देवी, के नाम से जो राशन कार्ड है उसमें राशन कार्ड का नं0 अलग–अलग अंकित है। जाँच प्रतिवेदन एवं प्रथम पक्ष को सुनकर आयोग के द्वारा उक्त मामले में आदेश दिया गया कि :– (a) प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तिसरी क्षेत्र में जाकर प्रथम पक्ष से पूछताछ करे और जनवितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान एवं रजिस्टर का जाँच किया जाय। (b) श्रीमती भुखरी देवी, के राशन कार्ड से अप्रैल–2021 से राशन का उठाव हो रहा है, लेकिन उनके पति श्री तुलसी राय का कहना है कि उनको दो माह का राशन दिया गया है। (c) पणन पदाधिकारी उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रख कर जाँच करें। C:\Users\Rachna\Dropbox\rachana\Court Notice.docx16 पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002 email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

2. **अपीलकर्त्ता श्री उदय टूडु** का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड का आवेदन किया है उनके परिवार में 10 से 15 लोग है किन्तु यह स्पष्ट नहीं कर पाये। उनको राशन नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड के बदले में उनसे डीलर द्वारा 3000 हजार रू0 का मांग किया जा रहा है।

   प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इनके शिकायतपत्र की प्रति की माँग की गयी, जिसे आयोग द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दिया गया।

आयोग के द्वारा इस मामले में आदेश दिया गया कि :–

a) पणन पदाधिकारी, तिसरी क्षेत्र में जाकर प्रतिवादी जनवितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान एवं रजिस्टर व आदि की जाँच करें।

b) जनवितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा पैसे मांगे जाने के संबंध में जाँच करेंगे एवं डीलर के दुकान पर कितने कार्ड ऐसे है जिसका आधार सिडिंग नहीं है। उनका आधार सिडिंग कराया जाय, इसका जाँच कर कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को जल्द उपलब्ध कराया जाय।

सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–23.03.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को आयोग के न्यायलय के समक्ष स्यवं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को नोटिस निर्गत करें। WhatsApp V.C. पर ऑनलाइन उपस्थित रहने हेतु अपीलकर्त्ता एवं संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सूचित किया जाय।

28.2.22

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(डा0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सुनवाई की तिथि 28/03/2022 को की गई
22/03/22

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.03.2022 को वाद सं0–18/2022 के मामले में सुनवाई की गई। प्रथम पक्ष से श्री तुलसी राय, ग्राम–गंदकुरा, पंचायत–गंदकुरा, प्रखण्ड–तिसरी, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री पवन कुमार सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तिसरी, गिरिडीह उपस्थित हुए। श्री पवन कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि जाँच के क्रम में श्री उदय टुडू का राशन कार्ड घरेलू विवाद के कारण पूरा राशन का उठाव उनके पिताजी ही किया करते है। जिस कारण श्री उदय टुडू को राशन नहीं मिल रहा है। उदय टुडू के पास अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है। तथा उदय टुडु अपने परिवार के लिए अलग से राशन कार्ड बनवाना चाहते है। आदेश दिया गया कि योग्यता की जाँच करके संयुक्त राशन कार्ड से उदय टुडू का नाम हटाकर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त कर लिया जाए एवं इसपर आवश्यक कार्रवाई कर दिनांक–10.04.2022 तक आयोग को प्रतिवेदित किया जाय। श्री तुलसी राय का कहना है कि उन्हें अब समय से राशन मिल रहा है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। इससे संबंधित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष उपलब्ध कराकर व्हाटस्एप के माध्यम से भेज दिया जाय। अतः दिनांक–11.04.2022 को आदेशार्थ रखेंगे। 28.3.22 (शबनम परवीन) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 28/3/2022 (डॉ० रंजना कुमारी) सदस्य झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 21/04/2022 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। 28/04/22 को ... ?/04/22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 60

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22/04/2022.	अभिलेख अभिलेख उपस्थापित की गई। प्रतिवेदन अप्राप्त है। दिनांक 28/04/22 को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करें। Rajani 22/04/2022.	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–18/2022 के मामले में सुनवाई की गई:– अभिलेख उपस्थापित। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, तिसरी, गिरिडीह का पत्रांक–108 दिनांक–27.04.2022 आयोग को प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा अपीलकर्ता श्री उदय टूडु का राशन कार्ड बनाए जाने की सूचना आयोग को दी गई है। अपीलकर्ता श्री उदय टूडु से दूरभाष पर इस संबंध में पुष्टि कर ली गई है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 18.5.22 (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 18/05 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	